छत्तीसगढ़ शासन
गृह विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय
रायपुर
---00---

कमांक एफ 13–27/दो–गृह/न.से./07 रायपुर, दिनांक /09/2011

प्रति,

महानिदेशक,
नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा,
छ0ग0 रायपुर

विषय :– संशोधित छत्तीसगढ़ होमगार्ड कल्याण निधि नियम 2001

संदर्भ :– आपका पत्र क0 109/374/के.क.नि./2011 रायपुर, दिनांक 26.07.11

---00---

संदर्भित पत्र के तारतम्य में निर्देशानुसार संशोधित छत्तीसगढ़ होमगार्ड कल्याण निधि नियम 2001 अवलोकन पश्चात एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– यथोपरि

15.9.11
(ए0एच0सिद्दिकी)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, गृह विभाग

16 SEP 2011

D.G.
I.G....
A.C.G....
S.S.O.....
J.S.O./Q.M./AAO.. 16.9.11
O.S.. ....
Section.........

नागरिक सुरक्षा
क्रमांक 601
दिनांक 16.9.11
(छत्तीसगढ़)

H Gurad 2

छत्तीसगढ़ होमगार्ड कल्याण निधि नियम

" अद्यतन – 2011 "

संक्षिप्त नाम एवं विस्तार :–

1– ये नियम छत्तीसगढ़ होमगार्ड कल्याण निधि नियम 2001 कहलायेंगे।

2– ये नियम होमगार्ड विभाग के समस्त वेतन भोगी कर्मचारियों एवं स्वयं सेवकों के लिए लागू होंगे।

3– कल्याण निधि का संधारण प्रदेश मुख्यालय केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, तथा जिला मुख्यालय में किया जावेगा।

इन निधियों का संधारण निम्नानुसार होगा :–

1– केन्द्रीय कल्याण निधि

2– केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा निधि

3– जिला कल्याण निधि

2– निधि का उद्देश्य :–

इस निधि का उपयोग निम्नानुसार होगा :–

अ– निधि के सदस्यों के मनोरंजन हेतु।

ब– कल्याण कारी कार्यों के लिये, आर्थिक सहायता जो अन्य शासकीय स्त्रोतों से उपलब्ध ना कराई जा सके।

इसके अन्तर्गत निम्न व्यय भी समाहित होंगे :–

1– कल्याण निधि से क्रय समस्त वस्तुओं की मरम्मत में।

2– विभागीय खेलकूद, स्थापना दिवस स्थानांतरण, सेवानिवृत्त पर फोटोग्राफी एवं विडियो शूटिंग हेतु निर्धारित राशि व्यय की जा सकेगी।

3– जावानों के मनोरंजन हेतु : जैसे–खेल, तमाशे, जादू एवं विडियो/स्लाईड शो हेतु वार्षिक व्यय।

4– होमगार्ड स्थापना दिवस एवं राष्ट्रीय पर्व तथा स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्वल्पाहार के लिए केन्द्रीय कल्याण निधि समिति द्वारा अनुमोदित दर पर प्रति सदस्य हुए व्यय तथा इन अवसरों पर स्टॉफ एवं स्वयं सेवकों के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन के समय व्यय हेतु।

5– टी.वी. में लगी टेबल/डिस्क लगवाना एवं वार्षिक/मासिक किराया का भुगतान पर व्यय।

6– शासकीय सेवकों के सेवानिवृत्ति के अवसर पर निम्न अधि0/कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप प्रदान करने हेतु।

1–प्रधान सेनानी/अतिरिक्त प्रधान सेनानी/डी.आईजी(यथा पद स्थापना)
2–प्रथम श्रेणी अधिकारी
3–द्वितीय श्रेणी अधिकारी
4–समस्त तृतीय श्रेणी अधि./कर्म.
5–समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

7– स्वयं सेवको को 60 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर सम्मान राशि हेतु।

15.9.11

अवर सचिव
छ.ग. शासन
गृह (जेल) विभाग

8– प्रदेश के बाहर गणतंत्र दिवस परेड अथवा अन्तर जिला/अन्तर संभागीय अथवा अखिल भारतीय खेलकूद प्रतियोगिता के समय केन्द्रीय कल्याण निधि समिति द्वारा अनुमोदित दर पर पौष्टिक आहार भुगतान हेतु प्रतिदिन निम्नानुसार अवधि के लिए दिया जावेगा :–

1– जिला आयोजन पर	10 दिन
2– संभाग स्तरीय आयोजन पर	15 दिन
3– अखिल भारतीय आयोजन पर–	अभ्यास चालू होने के दिनांक से खेलकूद के समापन दिनांक तक।

9– निधि के सदस्यों के निधन पर दाह संस्कार के लिए नगद राशि भुगतान हेतु।

10– मृतक शासकीय सेवक/स्वयं सेवक के वैधानिक आश्रित सदस्यों को आर्थिक सहायता के भुगतान हेतु।

(अ) प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को

(ब) समस्त तृतीय श्रेणी/चतुर्थ श्रेणी सेवकों के आश्रित को.

(स) स्वयं सेवकों के आश्रित को

11– इस निधि के सदस्यों को सुविधाओं तथा जिला ईकाईयों के होमगार्ड लाइन वृद्धि हेतु किये गये ऐसे व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु जो कि कमाण्डेन्ट ट्रेनिंग सेन्टर, डिवीजनल कमाण्डेन्ट अथवा अन्य वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उपयुक्त समझी जावे। जिला ईकाईयों एवं केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में सैनिक कैन्टीन संचालन हेतु मांग अनुसार उपयुक्त पाये जाने पर केन्द्रीय कल्याण निधि से आग्रिम दिया जा सकेगा। उक्त अग्रिम का समायोजन संबंधित ईकाई एक वर्ष में आवश्यक रूप से करेंगे।

3– <u>आय के स्त्रोत इस निधि के आय के स्त्रोत निम्नानुसार होंगे</u> :–

1– निधि के सदस्यों से प्राप्त मासिक अंशदान

2– शासन से प्राप्त अनुदान

3– एम्युनेशन के खाली खोखे बिक्री से प्राप्त राशि

4– विभागीय भूमि पर होने वाली उपज घास/सब्जी/फल/वृक्ष लकड़ी आदि से प्राप्त आय।

5– कल्याण केन्द्रों की ईकाईयों से प्राप्त ऐसी आय जो मुर्गी पालन केन्टीन,राशन शॉप, महिला कल्याण केन्द्र से प्राप्त हुई हो

6– शासन की पूर्व स्वीकृति से स्मारिका का प्रकाशन एवं लाटरीज से प्राप्त आय।

7– निधि से क्रय किये गये समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं की बिक्री तथा निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी से प्राप्त आंय।

8– समिति के अनुमोदन पर जनता से प्राप्त स्वैच्छिक अंशदान ।

टीप:– विभिन्न पदाधिकारियों के लिय मासिक अंशदान का निर्धारण केन्द्रीय कमेटी द्वारा किया जाकर समय–समय पर पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

D:\Lok Abhiyojan\CGHWFR.doc 2

15.9.11
अवर सचिव
छ.ग. शासन
गृह (जेल) विभाग

4— <u>व्यय का प्राधिकारः—</u>

इन नियमों के नियम दो में अंकित उद्देश्यों के लिये प्राधिकारी प्रत्येक प्रकरण पर निम्नानुसार राशि के व्यय हेतु प्राधिकृत होंगे :—

<u>नियम—2(2) फोटो ग्राफी एवं विडियों शूटिंग पर व्ययः—</u>

राज्य स्तर पर पुलिस महानिरीक्षक होमगार्ड(जब पद भरा हो)	रू 10000/—
संभाग स्तर पर संभागीय सेनानी	रू 5000/—
जिला स्तर पर जिला सेनानी	रू 2000/—

<u>नियम—2(3) जवानों के मनोरंजन</u>

जिला स्तर पर जिला सेनानी	रू 3000/—

<u>नियम—2(4) स्वल्पाहार व सांस्कृतिक कार्यकम आयोजन</u>

मुख्यालय स्तर पर केन्द्रीय कल्याणनिधि सचिव रू 15/—प्रति सदस्य स्वल्पाहार कमाण्डेंन्ट, सी.टी.आई स्तर पर कमाण्डेन्ट रू 15/— प्रति सदस्य स्वल्पाहार संभाग स्तर पर संभागीय सेनानी रू 15/— प्रति सदस्य स्वल्पाहार जिला स्तर पर जिला सेनानी रू 15/— प्रति सदस्य स्वल्पाहार, एवं सांस्कृतिक कार्यकम पर रू 1000/—

नियम—2(5) टी0वी0 में लगी केबल/डिस्क लगवाना एवं वार्षिक/मासिक किराया भुगतान :—

1—मुख्यालय स्तर पर केन्द्रीय कल्याणनिधि सचिव
2—केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान स्तर पर कमाण्डेन्ट
3—संभाग स्तर पर संभागीय सेनानी
4—जिला स्तर पर जिला सेनानी

नियम—2(6) स्मृति चिन्ह भेंटः—हेतु निम्नानुसार राशि व्यय किया जा सकेगा

1—महानिदेशक/अतिरिक्त महानिदेशक/डी.आई.जी/(यथा पदस्थापना)	रू. 3000—00
2—प्रथम श्रेणी अधिकारी	रू. 2500—00
3—द्वितीय श्रेणी अधिकारी	रू. 2000—00
4—समस्त तृतीय श्रेणी अधिकारी/कर्मचारी	रू. 1500—00
5—समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	रू. 1000—00
6—स्वयं सेवक	शाल व श्री फल भेट

टीपः— मुख्यालय स्तर पर केन्द्रीय कल्याण निधि सचिव, सी.टी.आई स्तर पर कमाण्डेंट या मुख्य अनुदेशक, संभागीय सेनानी, संभागीय कार्यालय हेतु एवं जिला स्तर पर जिला सेनानी। उपरोक्त के अतिरिक्त बिदाई समारोह में स्वल्पाहार हेतु।

नियम—2(7) स्वयंसेवकों को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने के उपरांत सेवा निवृत्त होने पर सम्मान राशि 80,000/— स्वीकृति का अधिकार महानिदेशक हो होगा।

D:\Lok Abhiyojan\CGHWFR.doc 3

15.9.11

अवर सचिव
छ.ग. शासन
गृह (जेल) विभाग

नियम–2(8) निर्धारित दर (रू. 15/–) पर पौष्टिक आहार भुगतान :–

1–जिला सेनानी–जिला स्तर पर
2–संभागीय सेनानी–संभाग स्तर पर
3–महानिदेशक–राज्य स्तर पर

नियम–2(9) निधि के सदस्यों को दाह संस्कार :–(रू 3000/– के मान से)

1–संभाग एवं जिला स्तर पर–जिला सेनानी
2–कमाण्डेंट सी0टी0आई0
3–मुख्यालय में–केन्द्रीय कल्याण निधि सचिव

नियम–2(10) मृतक शासकीय सेवक/स्वयंसेवक के वैधानिक आश्रित सदस्यों को आर्थिक सहायता :–

(अ) प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को रू. 20000/–
(ब) समस्त तृतीय श्रेणी/चतुर्थ श्रेणी सेवकों के आश्रितों को रू. 15000/–
(स) स्वयं सेवकों के आश्रितों को रू. 50000/–
सभी प्रकरणों में महानिदेशक

नियम–2(11) होमागार्ड लाईन वृद्धि :–

महानिदेशक–संपूर्ण अधिकार

5– कल्याण निधि कमेटी का गठन–

(1) केन्द्रीय कल्याण निधि समिति का गठन निम्नानुसार होगा :–

1–	अध्यक्ष	डायरेक्टर जनरल
2–	उपाध्यक्ष	अतिरिक्त प्रधान सेनानी या डी.आई.जी. होमगार्ड (जब पद भरा हो) अथवा एक सीनियर स्टॉफ आफीसर
3–	सचिव	एक सीनियर स्टॉफ आफीसर
4–	कोषाध्यक्ष	एक जूनियर स्टॉफ आफीसर
5–	सदस्य	कमाण्डेन्ट केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान छ.ग(जब पद भरा हो)
6–	सदस्य	एक डिवीजनल कमाण्डेन्ट
7–	सदस्य	एक डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेन्ट
8–	सदस्य	एक कंपनी कमाण्डर
9–	सदस्य	एक प्लाटून कमाण्डर
10–	सदस्य	कार्यालय अधीक्षक या एक कार्यपालिक एम.
11–	सदस्य	दो हवलदार अनुदेशक
12–	सदस्य	तीन स्वयं सेवी सैनिक
13–	सदस्य	एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

15.9.11
अवर सचिव
छ.ग. शासन
गृह (जेल) विभाग

(2) केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में कल्याण निधि समिति का गठन निम्नानुसार होगा :–

1–	अध्यक्ष	कमाण्डेन्ट सी0टी0आई0 छ0ग0
2–	सचिव	चीफ इन्स्ट्रक्टर
3–	कोषाध्यक्ष	स्टोर ऑफीसर
4–	सदस्य	एक लिपिक
5–	सदस्य	एक अराजपत्रित अधिकारी
6–	सदस्य	एक सिपाही / आरक्षक

(3) जिला कल्याण निधि समिति का गठन निम्नानुसार होगा :–

1–	अध्यक्ष	डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेन्ट
2–	सचिव	कम्पनी कमाण्डर
3–	कोषाध्यक्ष	प्लाटून कमाण्डर
4–	सदस्य	एक लिपिक
5–	सदस्य	एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
6–	सदस्य	तीन स्वयं सेवक

प्रतिवर्ष समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यों का नामांकन / परिवर्तन अध्यक्ष द्वारा किया जावेगा तथा समिति की बैठक वर्ष में एक बार आवश्यक रूप से आयोजित होगी। इसके अतिरिक्त जब भी आवश्यक हो आयोजित की जा सकेगी।

लेखा संधारण :–

(1) निधि का संधारण अध्यक्ष, केन्द्रीय कल्याण निधि, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान / जिला कल्याण निधि समिति द्वारा नामांकित किसी अधिकारी के पर्यवेक्षण में किसी लिपिक द्वारा संधारित किया जायेगा। नियम (दो) में वर्णित उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य विषय विशेष की प्रतिपूर्ति भी नियम (चार) में वर्णित अधिकारी की स्वीकृति उपरांत की जा सकेगी।

(2) जो लिपिक लेखा संधारण हेतु तैनात किया जायेगा वह युक्ति युक्त अभिलेख संधारण हेतु स्वतः उत्तरदायी होगा।

(3) समिति के निर्णयानुसार समस्त राशि इस प्रकार 'वेष्टित' की जायेगी की निधि का अधिक से अधिक ब्याज प्राप्त हो सके किन्तु इस निधि का उपयोग निजी संस्थाओं की कंपनियां एक शेयर्स पर नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार संबंधित लिपिक अपने पास उतनी ही राशि नगद रख सकेगा जितनी कि समिति द्वारा समय समय पर अनुमति दी गई हो। शेष राशि अध्यक्ष के निर्देशानुसार जमा की जावेगी।

अवर सचिव
छ.ग. शासन
गृह (जेल) विभाग

जो लिपिक शासकीय कार्यो के साथ ही निधि के लेखा संधारण हेतु मनोनित किया जावेगा उसे निम्न दरों पर निधि से मानदेय भुगतान किया जायेगा :--

1— मुख्यालय के कल्याण निधि लेखापाल को रू 125/— प्रतिमाह
2— केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान के लेखापाल को रू 100/— प्रतिमाह
3— जिला ईकाईयों के कल्याण निधि के लेखापाल रू 15/— प्रति कंपनी के मान से न्यूनतम रू 50/— अधिकतम रू 75/— प्रतिमाह
4— समय समय पर अध्यक्ष किसी भी विभागीय अधिकारी को केन्द्रीय कल्याण निधि का कोषाध्यक्ष नामांकित कर सकेंगे ।
5— प्रतिवर्ष दिनांक 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्ति पश्चात् शेष राशि ,तथा वार्षिक आय—व्यय का हिसाब मदवार तैयार कर शासन को अध्यक्ष व्दारा सौंपना होगा ।

<u>लेखापरीक्षण</u> :--इस निधि का लेखापरीक्षण वर्ष मे एक बार विभागीय लेखा परीक्षकों व्दारा किया जावेगा ।

<u>अभिलेख</u> :-- कल्याण निधि के लिये निम्नांकित अभिलेख संधारित किया जाना होगा ।

1— कैश बुक
2— बैंक ड्राफ्ट रजिस्टर
3— मनीरसीद बुक (अध्यक्ष व्दारा निर्धारित तथा कमांकित)
4— समस्त स्वीकृतियां तथा भुगतान व्हाउचर्स
5— पत्राचार नस्तीयां
6— निधि से कय सामग्रीयों का स्टॉक व कमेटी रजिस्टर
7— समिति व्दारा आदेशित अन्य रजिस्टर तथा अभिलेख

(आर.सी.पटेल)
महानिरीक्षक
नगर सेना, छत्तीसगढ़

15.9.11
अवर सचिव
छ.ग. शासन
गृह (जेल) विभाग